

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कपासन, जिला चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी- राजेश सुवालका (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या
42/2025

दायर दिनांक
03.04.2025

निर्णय दिनांक
20.11.2025

अनवान

1. नारायण लाल पुत्र उदा जाति बैरवा आयु वयस्क निवासी उचनार खुर्द तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।

प्रार्थी

बनाम

1. खेमा उर्फ खेमराज पुत्र किशना जाति गाडरी आयु वयस्क निवासी तेजाखेड़ा तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
2. नारायण लाल पुत्र किशना जाति गाडरी आयु वयस्क निवासी तेजाखेड़ा तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
3. नन्दराम पुत्र किशना जाति गाडरी आयु वयस्क निवासी तेजाखेड़ा तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
4. सायर बाई पत्नी उदा जाति गाडरी आयु वयस्क निवासी तेजाखेड़ा तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।

अप्रार्थीगण

उपस्थिति:- स्वयं

अधिवक्ता श्री सुरेश चन्द्र शर्मा

प्रार्थी

अप्रार्थीगण

—:: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज0 भू-राजस्व अधिनियम::—

—:: निर्णय ::—

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी ने अप्रार्थीगण के विरुद्ध प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 128 राज0 भू-राजस्व अधिनियम, 1956 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा उचनारखुर्द पटवार हल्का उचनारखुर्द तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़ की जमाबंदी संवत् 2074-2077 के खाता संख्या 126 की अभिलिखित आराजीयात आराजी संख्या 1609/1066, 1065 कुल किता 02 कुल रकबा 0.39 हैक्ट0 कृषि भूमि प्रार्थी के खातेदारी एवं कब्जे काश्त की है, और अप्रार्थीगण आराजीयात जैर-बहस के पडौसी खातेदारान है। प्रार्थी एवं विपक्षीगण की आराजीयात के बीच कोई स्थाई सीमा चिन्ह नहीं होने के कारण विवाद होता रहता है अतः प्रार्थी की खातेदारी की आराजीयात की मौके पर अभिलेख अनुसार नपती की जाकर मौके पर स्थाई सीमा-चिन्ह स्थापित किया जावें। प्रार्थी वर्णित भूमि के खातेदार काश्तकार है।

इस पर प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता श्री सुरेश चन्द्र शर्मा का अधिकार पत्र प्रस्तुत। बहस उभयपक्ष सुनी गयी। हाजिर प्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया कि मामला पत्थरगढी का है व प्रार्थी अपनी आराजीयात की पत्थरगढी कराना चाहते हैं, अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावें। हमने प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। चिंतन मनन किया एवं पत्रावली को वास्ते आदेश नियत किया गया।


सहायक कलक्टर

(उपखण्ड अधिकारी) Page | 1

कपासन जिला-चित्तौड़गढ़

हमने पत्रावली का आद्यौपान्त अवलोकन किया। प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत राजस्व अभिलेख नकल जगाबन्दी का अवलोकन किया गया। प्रकरण के तथ्यों व बहस पर गनन किया। प्रार्थी आराजियात जैरबहस के खातेदार काश्तकार हो कर इन्हें आराजीयात जैर-बहस की नपती करा पत्थरगढी कराने का अधिकार निहित है। उपर्युक्त विवेचन के क्रम में प्रार्थी प्रार्थना पत्र में अंकित भूमि के खातेदार काश्तकार होने से सीमाज्ञान कराने के अधिकारी होने से प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 128 राज0 भू-राजस्व अधिनियम, 1956 स्वीकार किया जाता है कि प्रार्थी की खातेदारी की आराजीयात गौजा उचनारखुर्द पटवार हल्का उचनारखुर्द तहसील कपासन जिला धित्तौडगढ की जगाबन्दी संवत् 2074-2077 के खाता संख्या 126 की अभिलिखित आराजीयात आराजी संख्या 1609/1066, 1065 कुल किता 02 कुल रकबा 0.39 हैक्ट0 कृषि भूमि फरीकेन मुकदमा को सूचित किया जाकर उनकी उपस्थिति में किसी न्यायालय का स्थगन न हो तो, किसी को बिना बेदखली एवं बिना किसी के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी किये पत्थरगढी की जावे। पत्थरगढी हेतु भू0अभि0निरी0 हथियाना को 1000/- रुपये शुल्क पर मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाता है, कमिश्नरी शुल्क का रिकार्ड विधिवत संधारित किया जाकर पालना रिपोर्ट मय पर्चा मौका एवं मौका नक्शा इस न्यायालय में आवश्यक रूप से पेश करे तथा कमिश्नरी फीस प्रार्थी से मौके पर प्राप्त करें। पालनार्थ तहसीलदार कपासन को तहरीर जारी करे।

पत्रावली की निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में भिजवाई जावें। निर्णय आज दिनांक 20.11.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(राजेश सुवालका)
उपखण्ड अधिकारी
कपासन जिला खटौला